



दिनांक: 30.06.2026

मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत — थाना कुतुबशेर एण्टीरोमियो टीम द्वारा सड़क पर आने-जाने वाली बालिकाओं/महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने वाला 01 मनचला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग व जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कुतुबशेर श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.06.2026 को थाना कुतुबशेर मिशन शक्ति एण्टी रोमियो टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सड़क पर आने-जाने वाली महिलाओं व बालिकाओं पर अश्लील टिप्पणी करने व रंग डालने वाले 01 मनचले अभियुक्त रहमान पुत्र ईनाम निवासी पुराना घास काटा बेहट रोड थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को ग्राम मानकमऊ म्हाड़ी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 170/135/126 बीएनएसएस की कार्यवाही की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रहमान पुत्र ईनाम नि0 पुराना घास काटा बेहट रोड थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर स0पुर
2. म0उ0नि0 श्वेता शर्मा थाना कुतुबशेर स0पुर
3. म0उ0नि0 सुमन चाहर थाना कुतुबशेर स0पुर
4. म0है0का0 1118 कमलेश थाना कुतुबशेर स0पुर
5. म0का0 1030 नेहा शर्मा थाना कुतुबशेर स0पुर
6. रि0म0का0 1411 नूतन थाना कुतुबशेर स0पुर
7. रि0म0का0 1427 रीकू भारती थाना कुतुबशेर स0पुर
8. रि0म0का0 1436 चंचल थाना कुतुबशेर स0पुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 30.06.2026

सहारनपुर पुलिस की अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा बिना रॉयली के अवैध खनन सामग्री का परिवहन करते 05 वाहनो ट्रक/ट्रेक्टर (बिना नम्बर प्लेट) को किया गया सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध खनन सामग्री के परिवहन की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 30.06.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान पठेड-टोडरपुर मार्क से 05 वाहनो (04 ट्रक व 01 ट्रेक्टर) को बिना रॉयली के अवैध रूप से खनन परिवहन करते बिना नम्बर प्लेट मय अवैध खनन सामग्री के **सीज कर थाना परिसर** में खड़ा कराया गया। सम्बन्धित विभाग को प्रकरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।

सीज वाहनो का विवरण

- 01 डम्पर नं0- UK 12-CA-3939
- 01 डम्पर UK 08-CB-5250
- 01 ट्रेक्टर महेन्द्र अर्जुन बिना नम्बर प्लेट चैचिस नं0- MBNBEBBA3SNM00412
- 01 ट्रक बिना नम्बर प्लेट
- 01 ट्रक बिना नम्बर प्लेट

सीज करने वाली पुलिस टीम—

1. श्री विनोद कुमार थानाध्यक्ष थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
3. है0का0 843 विवेक कुमार थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
4. का0 1815 विशाल यादव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार साइबर हेल्पडेस्क पुलिस टीम द्वारा ऑनलाइन साइबर फ्राड के माध्यम से ठगी गई कुल 1,51,507/- रुपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरण:-

दिनांक 17.02.2026 को आवेदक श्री नरेश कुमार पुत्र धारा सिंह निवासी रोहित विहार कालोनी हसनपुर चुगी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा उपस्थित थाना आकर बताया कि वादी के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा वीडियो काल कर क्रेडिट कार्ड के विषय में जानकारी लेकर आनलाइन फ्राड के माध्यम से कुल 01,51,507/- रुपये की धनराशि ठगी कर लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार साइबर हेल्पडेस्क पर शिकायत संख्या 33102260037499

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम एवं क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार साइबर हेल्पडेस्क पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त साइबर शिकायत में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए आवेदक श्री नरेश कुमार उपरोक्त की साइबर फ्रॉड के माध्यम से ठगी गयी कुल 1,51,507/- रुपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व थाना सदर बाजार साइबर हेल्पडेस्क टीम का आभार प्रकट किया गया।

खाते में वापस करायी गयी धनराशि :

➤ 1,51,507/- रुपये वापस

साइबर हेल्प डैस्क टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री आन्नद पोसवाल थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र शर्मा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर गौरव मठान थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।(साइबर सेल)

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 30.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित अभियुक्त
गिरफ्तार, अभियुक्त की निशांदाही पर घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल 01 ईट बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 27.06.2026 को वादी श्री प्रदीप पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम हसनपुर भलस्वा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त भोज पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम हसनपुर भलस्वा थाना गागलहेडी द्वारा वादी के चाचा सतपाल को जान से मारने की नियत से पीछे से सिर पर ईट मार देना जिससे वादी के चाचा गम्भीर रूप से घायल हो जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 192/2026 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। जिसमे दिनांक 29.06.26 को ईलाज के दौरान घायल की पी0जी0आई0 अस्पताल पिलखनी सहारनपुर मे मृत्यु हो गयी थी जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में हत्या की घटना में **वांछित अभियुक्त भोज पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम हसनपुर भलस्वा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को ग्राम हसनपुर भलस्वा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशांदाही पर घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल 01 ईट बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मृतक सतपाल उपरोक्त मेरे पडोस मे रामकिशन के यहां पर नौकरी करता था और वहीं पर रहता था। सतपाल उपरोक्त रामकिशन के घर से रामकिशन के घर पर खाना खाने आता था दिनांक 26.06.26 को सतपाल रामकिशन के घर से घर पर खाना खाने आ रहा था उसे मैं रास्ते मे मिला मैं नशे मे था सतपाल ने मुझे पकडकर मेरे नशे करने के बारे मे उल्टा सीधा बोलने लगा। जिससे मुझे गुस्सा आ गया तथा मैंने दिनांक 27.06.26 को सतपाल के रामकिशन के घर से घर आते समय रास्ते मैं मेने उसको जान से मारने के लिए उसके सर मे ईट मार दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

भोज पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम हसनपुर भलस्वा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

➤ घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल 01 ईट बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. व0उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र थाना गागलहेडी सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री सतीश रौसा थाना गागलहेडी सहारनपुर।
5. है0का0 591 इरशाद खां थाना गागलहेडी सहारनपुर।
6. का0 398 नरदेव कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
7. रि0का0 858 नितेश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।



दिनांक: 30.06.2026

-प्रेस नोट-
ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही

थाना बेहट पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,
अभियुक्त के कब्जे से 234 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा”** – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **“ऑपरेशन सवेरा”** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त मुकर्रम पुत्र अकबर निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को ग्राम अब्दुल्लापुर के कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 234 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 267/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

मुकर्रम पुत्र अकबर निवासी ग्राम पथरवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

234 ग्राम अवैध चरस

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 345/2017 धारा 3/8 गौवध अधि0 थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 94/2018 धारा 3/5A/8 गौवध अधि0 थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 275/2019 धारा 380/411 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 277/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 106/2020 धारा 380/457/511 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 107/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 270/2020 धारा 380/411 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर

8. मु0अ0सं0 297/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 498/2020 धारा 380/411 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 492/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 34/2023 धारा 379/411 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 437/2023 धारा 379/411 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 276/2024 धारा 305(a), 317(2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
14. मु0अ0सं0 155/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
15. मु0अ0सं0 714/2019 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
16. मु0अ0सं0 717/2019 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
17. मु0अ0सं0 203/2025 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अरविन्द तोमर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. का0 1811 राहुल कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. का0 05 उमंग राठी थाना बेहट जनपद सहारनपुर



दिनांक: 30.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द द्वारा चेकिंग के दौरान 02 वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल व 02 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वाहन चोरी/नकबजनी आदि घटनाओं की रोकथाम व वाहन चोरी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 02 वाहन चोर अभियुक्तगण 1. सलमान पुत्र नफीस निवासी वक्फ दारूल उलूम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व 2. आश मौहम्मद पुत्र इमामुद्दीन निवासी रोशन कालोनी ईदगाह रोड थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे नजदीक लियाकत फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल रंग काला व 02 अवैध चाकू बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 479/2026 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 शस्त्र अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1- सलमान पुत्र नफीस नि0वक्फ दारूल उलूम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- 2- आश मौहम्मद पुत्र इमामुद्दीन नि0 रोशन कालोनी ईदगाह रोड थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 चोरी की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल रंग काला
- 02 अवैध चाकू

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त सलमान)

1. मु0अ0सं0- 194/25 धारा 305(a), 317(2) बीएनएस चालानी थाना नांगल सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 173/26 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना देवबन्द सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 468/26 धारा 411/414 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 420/23 धारा 379/411 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 201/20 धारा 188/269/270 भादवि 51 आपदा प्रबन्धन अधि0 थाना देवबन्द
6. मु0अ0सं0- 28/21 धारा 60 आब0अधि0 थाना बेहट सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 479/2026 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 शस्त्र अधि0 थाना देवबन्द

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त आस मौहम्मद)

1. मु0अ0सं0 479/2026 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 शस्त्र अधि0 थाना देवबन्द

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
2. है0का0 272 जुगेन्द्र मलिक थाना देवबन्द सहारनपुर
3. का0 952 अरविन्द थाना देवबन्द सहारनपुर
4. रि0का0 730 अकित कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर



दिनांक - 30.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे
से 12 बोतल देशी शराब (हरियाणा मार्का) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की रोकथाम हेतु अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अप पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग/गश्त के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त मनीष धीमान पुत्र महेन्द्र निवासी पुष्पांजलि विहार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर को ट्रांसपोर्ट नगर के पास रजवाहे की पटरी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल माल्टा MALTA FOR SALE IN HARYANA ONLY हरियाणा मार्का बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना जनकपुरी पर मु0अ0स0 157/26 धारा 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मनीष धीमान पुत्र महेन्द्र निवासी पुष्पांजलि विहार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

12 बोतल MALTA FOR SALE IN HARYANA ONLY 750 ML हरियाणा मार्का नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0कां0 663 बालेन्द्र थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. रि0कां0 1032 पुष्पेन्द्र थाना जनकपुरी, सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:30.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त को नोटिस तामील कराकर जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी निरीक्षक थाना कुतुबशेर श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.06.2026 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा **जिला बदर अपराधी प्रवीण कुमार पुत्र ज्योति प्रसाद निवासी रामगढ थाना कुतुबशेर सहानपुर** के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम में प्रभावी निवारक कार्यवाही करते हुए अपर जिलाधिकारी (वित्त एव राजस्व) महोदय के आदेशानुसार जिलाबदर घोषित किये जाने के अनुपालन में अभियुक्त प्रवीण कुमार उपरोक्त को लाउड स्पीकर व मुनादी कराते हुए विधि पूर्वक नोटिस तामील कराया गया तथा जिला बदर अपराधी को जिलाबदर के सम्बन्ध में पूर्ण हिदायत करते हुए जनपद सहारनपुर की सीमा से थाना क्षेत्र में मिलने वाली जनपद हरिद्वार के थाना क्षेत्र भगवानपुर जनपद हरिद्वार की सीमा में छोड़ा गया।

जिला बदर अभियुक्त का नाम व पता –

प्रवीण कुमार पुत्र ज्योति प्रसाद निवासी रामगढ थाना कुतुबशेर सहानपुर

जिला बदर अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 87/25 धारा 126(2),191(2),351(2),352 बीएनएस थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 546/24 धारा 115(2),127(1),190,191(2),221,352 बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 251/19 धारा 147,171-F,188,341,353 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 87/25 धारा 126(2),191(2),351(2),352 बीएनएस थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 59/19 धारा 143,188 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 546/24 धारा 115(2),127(1),190,191(2),221,352 बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 590/19 धारा 147,188,341 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 345/20 धारा 51(a) आपदा प्रबन्धन अधि0 व 188,269,270,341 भादवि, 3 महा0 अधि0 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 375/20 धारा 7 आपराधिक कानून अधिनियम (संशोधन)1932 व 147,148,149,160,188,269,270,307,323,332,336,341,353,427 भादवि, 3 महामारी अधि0 थाना नागल जनपद सहारनपुर

नोटिस तामील करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बलवीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. है0का0 388 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. का0 2029 विवेक धामा मय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. का0 1371 अंकुश कुमार मय लैपर्ड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. का0 1265 विक्रान्त राठी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर



दिनांक 30-06-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-10 जनपद सहारनपुर द्वारा **हत्या के मुकदमें में अभियुक्त** को आजीवन कारावास व 70 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई **सजा:-**

अवगत कराना है कि दिनांक 20.02.2021 को वादी श्री राजेश कुमार पुत्र किशनलाल नि० जनकनगर महात्मा गांधी मैमोरियल स्कूल के सामने थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त ऋषभ पुत्र धर्म सिंह निवासी मौहल्ला जनकपुरी क्रिस्टल ड्राईक्लीनर्स वाली गली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के पुत्र शिवम को जहर देकर हत्या कर देने की सूचना पर मु०अ०सं० 86/2021 धारा 302/328 भादवि थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं०.1242/21 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-10 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-10 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 30-06-26 को अभियुक्त ऋषभ पुत्र धर्म सिंह नि० मौ० जनकपुरी क्रिस्टल ड्राईक्लीन वाली गली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर को मु०अ०सं० 86/2021 धारा 302/328 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 70 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता - ए०डी०जी०सी० श्री शिव सिंह

विवेचक - निरीक्षक श्री उमेश रोरिया

पैरोकार - का० 2328 कौशल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर